सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 55/16 **निर्णय दिनांक**

1. लूणीदेवी
2. रेशमादेवी
3. केसरदेवी
4. वीनादेवी
5. कंचनदेवी

पुत्रियॉ स्व. नारायणदास खत्री जाति खत्री निवासीगण चक 11 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. कैलाशचन्द्र पुत्र काशीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 11 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. भागीरथ पुत्र जीतराम जाति कुम्हार निवासी चक 11 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. हरीराम पुत्र बीरबल जाति अहीर निवासी चक 11 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
4. किसनलाल
5. राजेन्द्र कुमार
6. नन्दकिशोर

पिसरान स्व. नारायणदास जाति खत्री निवासी चक 11 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला
दिनांक 28–07–2016

उपस्थितः

1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 व 2
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला के निर्णय दिनांक 28–07–2016 जिसके द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से विधि विरूद्व तरीके से नया रास्ता कायम किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि वाके चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 123/61 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा कमाण्ड दर्ज रिकार्ड व कब्जे काश्त में है। जिसमें पुश्तैनी समय से अपीलांट के स्व. पिता नारायणदास तत्पश्चात् अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 ता 6 काश्त कर रहे है। जिसमें कोई कटाणी रास्ता चालू नहीं है, फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मुरब्बा नम्बर 123/61 के किला नम्बर 6, 15, 16, 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता व 1–1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता कायम करने हेतु धारा 251 आरटीएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं था। वर्तमान में चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 143/5 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 143/6 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में 1 बीघा 8 बिस्वा पगडंडी व रास्ता रिकार्डेड अंकन है और मौके पर चकप्लान के समय से चालू है। उक्त तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के सामने होते हुए भी उनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर पूर्व के रास्ते के अंकन को निरस्त कर विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 123/61 के किला नम्बर 6, 15, 16,श 25 की 1–1 बिस्वा रास्ता कायम किया है जो आदेश स्वतः शून्य व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 व 136 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। जबकि धारा 251 में सुनवाई का क्षेत्राधिकारी तहसीलदार को है तथा धारा 136 में केवल लगान रसीद का उल्लेख है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। नया रास्ता कायम करने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तह प्रावधान दिये गये है जिसमें खातेदार कृषक को पूर्ण सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किये जाने होते है। जबकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि धारा 251 ए के तहत रास्ता ना हो व Absolute Necessity हो तभी रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जा सकते है। धारा 251ए में पुराने रास्ते को बन्द कर नया रास्ता चालू करने का प्रावधान नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत तथ्यों एवं सबूतों के बाहर जाकर रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये है जो विद्आऊट ज्यूरिशडिक्शन होने से खारिज योग्य है। अदालत मातहत द्वारा राज्य पक्ष जो कि आवश्यक पक्षकार था, के जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 143/5 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 में प्रत्येक में 02 बिस्वा कुल 0.08 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 143/6 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में कुल 1 बीघा रास्ता दर्ज रिकार्ड है व मुरब्बा नम्बर 123/61 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा लूणीदेवी, किशनलाल वगैरा के नाम दर्ज रिकार्ड है व मुरब्बा नम्बर 123/62 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा हरिराम वल्द बीरबलराम के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें किसी भी तरह का रास्ता व खाला अंकित नहीं है। इस प्रकार स्टेट ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट के खातेदारी रकबे में पूर्व में किसी प्रकार का कोई रास्ते का अंकन नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के रकबे अर्थात मुरब्बा नम्बर 143/5 व मुरब्बा नम्बर 143/6 में पूर्व

से ही रास्त दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत द्वारा स्टेट के जवाब पर कोई गौर किये बिना ही पत्रावली अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अदालत मातहत द्वारा रिर्काड को बिना देखे मनमाने ढंग से कानून के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया जो काबिल खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत के समक्ष अन्तर्गत धारा 251, 136 आरटीए सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदरी भूमि वाके चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 143/5 व 143/6 में दर्ज रिकार्ड है। उक्त मुरब्बा नम्बर 143/5 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व 21 ता 25 प्रत्येक किला नम्बर 2—2 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है व इसीप्रकार मुरब्बा नम्बर 143/6 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 प्रत्येक किला नम्बर में 2—2 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट की भूमि चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 123/61 व मुरब्बा नम्बर 123/62 है जिसके किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 दोनों मुरब्बों में 2—2 बिस्वा खाला दर्ज रिकार्ड है परन्तु उक्त खाला मुरब्बा नम्बर 143/6 के प्रत्येक के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में बना हुआ है वा कई वर्षो से उक्त पक्का खाला रास्ता की भूमि है जिस कारण उक्त चक के उक्त मुरब्बों में रास्ता चालू नहीं है। रेस्पोडेन्ट व अन्य काश्तकारों ने चारों मुरब्बों की पैमाईश करवाई तो प्रार्थीगण को उक्त पक्का खाला कटानशुदा रास्ता भूमि में बने होने की जानकारी हुई तो सीमाज्ञान करवाया गया हो मुरब्बा नम्बर 123/61 व 123/62 की भूमि करीब 24 फिट 9 ईंच बड़ा होना पाया गया तथा पक्का खाला व रास्ता दोनों ही मुरब्बा नम्बर 143/5 व 143/6 में होना बताया गया है। जो त्रूटिवश सही करवा कर रेस्पोडेन्ट के मुरब्बा नम्बर 143/5 व 143/6 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में 2—2 बिस्वा खाला का कटान करवाते हुए मुरब्बा नम्बर 123/61 व मुरब्बा नम्बर 123/62 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक के 2—2 बिस्वा

रास्ता का अंकन खाला के स्थान पर दुरस्त करवाने हेतु अदालत मातहत के समक्ष इस्तदुआ करने पर स्टेट का जवाब लिया गया। स्टेट ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि यदि रास्ता की जगह खाला व खाले की जगह रास्ता रिकार्ड में करवाना चाहते है तो नियमानुसार दुरूस्ती की जाती ह तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति व स्टेट के जवाब के आधार पर रास्ता दुरूस्ती के आदेश पारित किये है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत के समक्ष अन्तर्गत धारा 251, 136 आरटीए व सहपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 143/5 व 143/6 में दर्ज रिकार्ड है। उक्त मुरब्बा नम्बर 143/5 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व 21 ता 25 प्रत्येक किला नम्बर 2—2 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है व इसीप्रकार मुरब्बा नम्बर 143/6 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 प्रत्येक किला नम्बर में 2—2 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट की भूमि चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 123/61 व मुरब्बा नम्बर 123/62 है जिसके किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 दोनों मुरब्बों में 2—2 बिस्वा खाला दर्ज रिकार्ड है परन्तु उक्त खाला मुरब्बा नम्बर 143/6 के प्रत्येक के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में बना हुआ है व कई वर्षो से उक्त पक्का खाला रास्ता की भूमि है जिस कारण उक्त चक के उक्त मुरब्बों में रास्ता चालू नहीं है।

(2) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि फर्द मौका पटवारी दिनांक 16—07—2014 व 12—05—2016 व सीमाज्ञान करवाये जाने पर मुरब्बा नम्बर 123/61, 123/62 की भूमि को

करीब 24 फिट 9 ईच बडा पाया गया व चक 11 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 143/5 के किला नम्बर 10, 11, 20, 21 में 2—2 बिस्वा रास्ता की जगह खाला बना हुआ है एवं मुरब्बा नम्बर 143/6 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 ता 25 प्रत्येक किला नम्बर में 2—2 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते के नाम दर्ज है।

(3) हमने अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया। उक्त पटवारी रिपोर्ट केवल मात्र रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में अपीलांट की अनुपस्थिति में पैमाईश की जाकर व अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना दिये तैयार किया जाना प्रतीत होता है। जबकि धारा 251 ए के प्रावधानों के तहत सभी पक्षों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना अपरिहार्य है। जैसा कि इस प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है।

(4) अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि पर पिछले 35 वर्षो से मुताबिक रिकार्ड रास्ता व खाला का उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि कुछ समय पूर्व ही जरिये बैयनामा खरीद की गई है तथा पूर्व भूमि के मालिक द्वारा कभी भी रास्ते व खाले बाबत् कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि सभी पक्षों की मौजूदगी में पैमाईश करवाई जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर भी अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में मौके की पैमाईश करवाई गई है। जिसे किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

(5) पटवारी रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शें में अपीलांट लूणीदेवी पुत्री नारायणदास रेस्पोडेन्ट कैलाशचन्द्र पुत्र कासीराम व भागीरथ पुत्र जीतराम की भूमि का अंकन किया गया है। जबकि मौका रिपोर्ट तैयार करते समय किसी भी पक्षकार अर्थात अपीलांट व अन्य पड़ौसी काश्तकार भागीरथ आदि को सुनवाई व कोई सूचना दिया जाना परिलक्षित नहीं होता है।

(6) प्रकरण में स्टेट ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट के खातेदारी रकबे में पूर्व में किसी प्रकार का कोई रास्ते का अंकन नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के रकबे अर्थात मुरब्बा नम्बर 143/5 व मुरब्बा नम्बर 143/6 में पूर्व से ही रास्त दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत द्वारा स्टेट के जवाब पर कोई गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जो विधि सम्मत नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला का आदेश दिनांक 28—07—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों की मौजूदगी में मौका रिपोर्ट तैयार करते हुए भूमि की पैमाईश करें व हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर